MUNICIPAL CORPORATION KOTA (NORTH)

(NIT NO. 18../2024-25) ('G' Schedule) (Copy No. 01)

Name of work:- नगर निगम कोटा–उत्तर क्षेत्र के पार्कों, उद्यानों संबंधित कार्य, पेड़ो को काट–छांटकर उद्यान स्टोर में पहुँचाने एवं संधारण हेतु अकुशल / कुशल श्रमिक आपूर्ति कार्य। (एक वर्ष के लिए)

Estimated Cost :- **142.98 Lacs**

Tender Cost:- Rs. 3500/- **Earnest Money: 285960/- (2%)**

Processing Fees :- Rs. 2000/- **12 Months**

Date & time of downloading of Bid 27-01-2025 to 17-02-2025

Date & time of online submission of Bid 27-01-2025 to 17-02-2025

Date, time and opening of Technical Bid - 18-02-2025 upto 4:00PM

Date and Time Opening of Financial Bid तकनिकी बिड परीक्षण के पश्चात्

Issued To:

C.R. No. **Date :-** **(Rates Based on RUIDP SOR (2023)**

S.No	Particulars	Qty.	unit	Rate	Amount
	Part-A				
1	Mali (30* 312)	9360.00	P.Day	480.00	4492800.00
2	Mazdoor/ helper (40*312)	12480.00	P.Day	480.00	5990400.00
3	Skilled Beldara (20*312)	6240.00	P.Day	560.00	3494400.00
	Part-B				
	Supply at site of work well decayed farm yard manure, from any available source, approved by the engineer in-charge including screening and stacking.	150.00	cum	698.00	104700.00
	Supplying and stacking good earth at site of work. Note: 1) Loading, unloading and carriage to be paid extra as per actual lead. 2) Earth measured in stacks will be reduced by 20% foe payment	300.00	cum	324.50	97350.00
	Spreading of sludge farm yard manure or/ and good earth in required thickness (cost of sludge, farm- yard manure or/and good earth to be paid for separately).	450.00	cum	47.80	21510.00
	Grassing with 'Doobs' grass including watering and maintenance of the lawn for 30 days or more till the grass forms a thick lawn free from weeds and fit for moving including supplying good earth if needed. (The good earth shall be paid separately) In rows 15 cm apart in either direction	2000.00	sqm	37.30	74600.00
	Supply of Insecticides & Pesticides at store in dust / liquid form complete Karathion (Liquid). 250ml packing	10.00	each	543.00	5430.00
	Roger (Liquid).	50.00	Litre	304.50	15225.00
	Bauiston 50 %. 100 grams packing	10.00	each	109.00	1090.00
	Grand Total				**14297505.00**

Terms & Conditions:-

1 निविदओं में भाग लेने वाले संवेदकों / फर्मो द्वारा जमा की जाने वाली निविदा शुल्क, प्रोसेगिंग फीस, धरोहर राशि आयुक्त नगर निगम कोटा–उत्तर की वेबसाइट **www.kotamc.org,** पर जाकर ऑनलाईन जमा करवानी होगी। जिसकी रसीद ऑनलाईन तकनीकी बिड में संवदेक द्वारा अपलोड करनी होगी। इसके अभाव में संवेदक को असफल कर दिया जायेगा। असफल संवेदक की सिर्फ धरोहर राशि लोटाई जावेगी। निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस (**Non-Refundable)** वापस नही की जावेगी।

2 कार्य के विलम्ब की स्थिति में गुणावगुण के आधार पर अनुबन्ध में निहित अधिकतम दर तक शास्ती लगायी जा सकेगी।

3 अनुबन्ध करने में असमर्थ रहने अथवा कार्य करने में असमर्थ रहने पर अनुबन्ध की शर्त सं0 2 व 3 के अन्तर्गत आपकी रिस्क एण्ड कास्ट पर नगर निगम को कार्य करने का/जमा योग्य अर्नेस्ट मनी की शास्ती लगाने की कार्यवाही करने का निगम को अधिकार सुरक्षित रहेगा बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा।

4 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति कार्य स्थल के फोटोग्राफ प्रस्तुत करने होगें एवं कार्य स्थल पर सूचना बोर्ड स्वयं के खर्चे पर लगाना होगा।

5 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित सहा.अभि./कनि.अभि. संबंधित वार्ड पार्षद/जन प्रतिनिधि को सूचित करेग एवं उनके सामने गुणवत्ता रिपोर्ट हेतु सेम्पल लिया जाना सुनिश्चित करेगें।

6 न्यूनतम मजदूरी एक्ट एवं श्रम कानूनों की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

7 कर्मचारी भविष्य निधि योजना (**EPFO**) के अन्तर्गत **EPF & ESI** पंजीयन की प्रति संलग्न करनी होगी एवं **EPF & ESI** के समस्त प्रकार के दायित्वों का निवर्हन संवेदक का होगा के संबंध में 100/–रू0 के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8 कार्य संपादन प्रतिभूति/सुरक्षा निधि की वापसी अनुबंध की शर्त संख्या 37 के अनुसार होगी।

9 संवेदक द्वारा निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध में संवेदक यह तथ्य भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा की **PF & ESI** विभाग के किसी प्रकार के दायित्त सृजित होते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

10 वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.10.2021 अनुसार आर. टी. पी. पी. नियम 2013 **Additional Perfomance Security** के लिए नियम 75 । जोडा गया है। जिसके तहत कार्य आदेश जारी से पूर्व नियमानुसार राशि जमा करवानी होगी।

11 सुरक्षा निधि (**Perfomance Gurantee**) नियमानुसार प्रत्येक रनिंग बिल व अंतिम बिल से 10 प्रतिशत राशि काटी जावेगी तथा अनुबन्ध की शर्त संख्या 37 के अनुसार लौटाई जावेगी।

Signature of Contractor

Superintending Engineer
Nagar Nigam, Kota-North

<u>–प्रारूप–</u>

<u>(लेटरहेड)</u>

सहमति–पत्र

श्रीमान ....

नगर निगम कोटा उत्तर।

विषय : अपनी निविदा हेतु सहमति के संबंध में।

प्रसंग : निविदा क्रमांक...

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक अपनी निम्न सहमति प्रस्तुत करता हूँ :–

(1) निविदा प्रपत्र पर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है।

(2) निविदा दर स्वयं मेरे द्वारा भरी गई है।

(3) मेरे द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन मेरा स्वयं का है एवम् पूर्णतया वैध है।

(4) कार्य मेरे द्वारा ही सम्पादित किया जायेगा एवं इसे Sublet नहीं किया जायेगा।

(5) किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

दिनांक :

कार्यालय नगर निगम, कोटा–उत्तर (राज0)

तकनीकी बिड

कार्य का नाम :– नगर निगम कोटा–उत्तर क्षेत्र के पार्कों, उद्यानों संबंधित कार्य, पेड़ो को काट–छांटकर उद्यान स्टोर में पहुँचाने एवं संधारण हेतु अकुशल/कुशल श्रमिक आपूर्ति कार्य। (एक वर्ष के लिए)

फर्म का नाम एंव पूर्ण पता : ....

मो.नं. एवं ईमेल आई.डी सहित..

अनुमानित राशि :– **1,42,98,000/– (अक्षरे एक करोड़ बियालीस लाख अठानवें हजार रूपये)**

धरोहरा राशि (2 प्रतिशत) :– 2,85,960/–

निविदा शुल्क :– 3500/–

प्रोसेसिंग शुल्क :– 2000/–

- निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट से) : 27.01.2025 से 17.02.2025
- निविदा अपलोड करने की तिथि : 27.01.2025 से 17.02.2025
- तकनिकी बिड खोलने की तिथि : 18.02.2025 (सायं 04: 00 बजे)
- वित्तिय बिड खोलने की तिथि : तकनिकी बिड़ पर प्रशासनिक निर्णय के उपरान्त

क्र॰ सं॰	तकनीकी बिड़ के साथ निम्न दस्तावेज जो संलग्न करने है।	दस्तावेजो का विवरण	संलग्न पेज
1	निविदओं में भाग लेने वाले संवेदकों/फर्मो द्वारा जमा की जाने वाली निविदा शुल्क, प्रोसेगिंग फीस, धरोहर राशि आयुक्त नगर निगम कोटा–उत्तर की वेबसाइट www.kotamc.org, पर जाकर ऑनलाईन जमा करवानी होगी। जिसकी रसीद ऑनलाईन तकनीकी बिड में संवदेक द्वारा अपलोड करनी होगी।		
2	फर्म का नाम एवं पता मय टेलीफोन नम्बर, आधार कार्ड, फर्म की स्थिति एकाकी/पार्टनरशिफ/प्रा॰लि॰ आदि का विवरण संलग्न करना होगा।		
3	तकनीकी बिड़ के प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित।		
4	पेन कार्ड की प्रमाणित पत्र की प्रति।		
5	संवेदक को नगर निगम कोटा –उत्तर के मेयर/पार्षद/अधिकारी /कर्मचारी से ब्लड रिलेशन नहीं होने बाबत् रू 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र।		
6	संवेदक को किसी भी राजकीय संस्था विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन अथवा उपक्रम में गत 03 वर्षों में ब्लैक लिस्टेड/डिबार अथवा डिफाल्टर धोषित नहीं किया होना चाहिए इस संबंध में स्वप्रमाणित अपने लेटरपेड पर निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।		
7	जी.एस.टी. नम्बर की प्रमाणित पत्र की प्रति।		
8	आवेदक के गत तीन वर्ष (2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) के इनकम टेक्स रिटर्न की स्व प्रमाणित प्रति		
9	गत पांच वर्षो में प्रत्येक वर्ष में निविदा राशि के 50 प्रतिशत राशि के बागवानी कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र सरकारी अनुभाग से सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ कार्य गत पांच वर्षो में संतोषजनक कार्य किया हुआ हो।		
10	श्रम विभाग के लाईसेन्स की प्रमाणित प्रति एवं नगर निगम कोटा में पंजीयन की प्रति या अन्य विभाग में पंजीयन की प्रति संलग्न करनी होगी।		

11	कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPFO) के अन्तर्गत EPF & ESI पंजीयन की प्रति संलग्न करनी होगी एवं EPF & ESI के समस्त प्रकार के दायित्त्वों का निवर्हन संवेदक का होगा के संबंध में 100/–रू0 के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।		
12	वर्ष 2023 में EPF&ESI हेतु पंजीकृत होने वाले संवेदक रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करेगे। तथा भविष्य में EPF&ESI से श्रमिको के भुगतान की ओडिट कराने का 50रू के स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करेगें।		
13	पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से पुराना न हो प्रस्तुत करना होगा।		
14	निविदा के साथ सहमति पत्र संलग्न करना होगा।		

नोट :– उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित होने चाहिये एवं उक्त दी गई सूचनाऐं मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा हमारी फर्म निविदा की समस्त शर्तो एवं नियमों की पालना करने के लिये सहमत है।

हस्ताक्षर निविदादाता

अधीक्षण अभियन्ता
नगर निगम, कोटा–उत्तर

शर्तें :–

1. उक्त निविदा में अकुशल/कुशल श्रमिक की दर राशि नियमानुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (कुल 26 दिवस) देना अनिवार्य होगा ।
2. नगर निगम–उत्तर द्वारा ट्रांसपोट्रेशन के लिये टीपर/यथोचित साधन की व्यवस्था की जावेगी।
3. पेड़ काटाने/छांटने की पूर्व स्वीकृति नगर निगम से पृथक से प्राप्त करनी होगी।
4. कार्य में पेड काटना/छांटना उपयोगी लकड़ी स्टोर तक पहुंचाना एवं बागवानी संबंधित कार्य सम्मलित है कचरा निर्धारित स्थल तक पहुंचाना होगा। उक्त कार्य हेतु साधन की व्यवस्था नगर निगम कोटा–उत्तर की होगी।
5. पेड़ को काटाने/छांटने में आने वाले समस्त प्रकार के उपकरण स्वयं संवेदक के होंगे। जैसे पेड़ काटने की मशीन, रस्सा, सीढी इत्यादि। नगर निगम द्वारा कोई सामान उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा।
6. पेड़ काटने में यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी। जिसके लिऐ नगर निगम कोई उत्तरदायी नहीं होगा।
7. पेड़ काटाने/छांटने की सूचना देने के उपरान्त 5 घण्टे के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा एवं निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर 500/–रू0 प्रति घंटे के हिसाब से पेनल्टी लगाई जावेगी।
8. यदि किसी जगह पेड़ गिरने से सार्वजनिक मार्ग अवरूद्ध हो तो अति आवश्यक होने की स्थिति में नगर निगम–उत्तर द्वारा जे.सी.बी. उपलब्ध करवाई जा सकती है।
9. बागवानी कार्य प्रतिदिन करना होगा, परन्तु कार्य पर लगाये गये सभी श्रमिकों को क्रमानुसार साप्ताहिक अवकाश देना होगा ।
10. ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिक की उम्र 18 से उपर व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा।
11. पेड छंटाई से प्राप्त उपयोगी लकडी उद्यान स्टोर में जमा करानी होगी अन्यथा नियमानुसार पैनल्टी लगाई जावेगी।
12. पेड छंटाई से प्राप्त समस्त कचरा स्वयं फर्म को उठाना होगा अन्यथा नियमानुसार पैनल्टी लगाई जावेगी।
13. कार्यरत श्रमिको की अनुपस्थिति में अन्य श्रमिक उपलब्ध कराना होगा अन्यथा नियमानुसार पैनल्टी लगाई जावेगी।
14. निविदओं में भाग लेने वाले संवेदकों/फर्मो द्वारा जमा की जाने वाली निविदा शुल्क, प्रोसेगिंग फीस, धरोहर राशि आयुक्त नगर निगम कोटा–उत्तर की वेबसाइट **www.kotamc.org,** पर जाकर ऑनलाईन जमा करवानी होगी। जिसकी रसीद ऑनलाईन तकनीकी बिड में संवदेक द्वारा अपलोड करनी होगी। इसके अभाव में संवेदक को असफल कर दिया जायेगा। असफल संवेदक की सिर्फ धरोहर राशि लोटाई जावेगी। निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस (**Non-Refundable**) वापस नही की जावेगी।
15. पार्क का बागवानी से संबंधित कार्य पूर्ण करना होगा। कार्य समय प्रातः 9 से सांय 6 बजे तक का कार्य करवाना होगा , जिसमें भोजनावकाश दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक होगा।
16. बिना धरोहर राशि/निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस के कोई निविदा प्रपत्र मान्य नहीं होगा ।
17. किसी भी निविदा को मान्य /अमान्य करने का अधिकार सक्षम अधिकारी नगर निगम कोटा–उत्तर में निहित होगा ।
18. अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय लेखा नियम तथा नगर पालिका नियमों में शासित होगा ।
19. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के करों (आयकर को छोड़कर) का भुगतान का दायित्व नगर निगम कोटा–उत्तर का होगा ।
20. संवेदक को श्रम अधिनियम के अन्तर्गत निहित समस्त प्रावधानों एवं निर्देशों की पालना करनी होगी एवं पी.एफ. का रजिस्ट्रेशन करवाकर श्रमिको के पी.एफ. के खाते खुलवाने होगें तथा श्रम विभाग पी. एफ एवं ई.एस.आई. के रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रथम भुगतान से पूर्व करनी होगी ।
21. संवेदक द्वारा पी.एफ. ई.एस.आई. जमा की प्रतिलिपि जमा करने के पश्चात् जमा के चालान प्रस्तुत करने पर (मय सूची) पुनर्भरण भुगतान किया जावेगा ।
22. कार्य में काम आने वाले समस्त उपकरण आदि की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी । नगर निगम कोटा–उत्तर से उपकरण लेने पर नियमानुसार कटौती की जावेगी ।
23. संवेदक को श्रमिकों को किये जाने वाले पारिश्रमिक का भुगतान बैंक के माध्य से किया जाना अनिवार्य होगा।
24. कार्य का विवरण :–

(ए). विकसित पार्को में नियमित रूप से दौब व पेड़ पोधो में सिंचाई का कार्य
(बी). पार्क में क्यारियां बनाकर हर सीजन की फुलवार लगाना आवश्यक होगा ।
(सी). पार्क की प्रतिदिन सफाई करने का कार्य एवं एकत्रित कचरे से पार्क के अन्दर ही स्थान चिन्हित कर कम्पोस्ट खाद बनाना होगा। उपरोक्त कार्य अनिवार्य रूप से करना होगा तथा तैयार कम्पोजड खात सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उपयोग करना होगा।
(डी). नियमित रूप से हेज एवं दौब कटिंग तथा पेड़ पौधो की छटाई का कार्य
(इ). पार्क की सुरक्षा का कार्य (पार्क मे लगे हुये उपकरण ,लाईटे ,फव्वारें इत्यादि की सुरक्षा)
(एफ). उधानों में समय समय पर खाद डालना व कीटनाशक दवाईयों का छिडकाव करने का कार्य
(जी). नई फुलवार कार्यालय से उपलब्ध करवाई जायेगी ।
(एच). उधान में काम आने वाले समस्त उपकरण जैसे गेंती,फावडा,कुदाली,तगारी,केंची,हेजकटर,झाड़ू, संवेदक को उपलब्ध कराने होगें ।
(आई). खाद व कीटनाशक दवाईयां कार्यालय से उपलब्ध करवाई जावेगी ।
(जे). कीटनाशक दवाईयों के छिड़काव करने का उपकरण संवेदक को लाना होगा तथा इस कार्य में किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर समस्त दायित्त संवेदक का होगा।
(के). संवेदक पार्क को निजी उपयोग में नहीं लेगा और कोई निर्माण कार्य भी नहीं करवायेगा ।
(एल). उधान के नल व बिजली के बिलों का भुगतान नगर निगम कोटा–उत्तर द्वारा किया जावेगा ।

25. संवेदक को प्रत्येक श्रमिक को रंगीन फ्लोरेसेन्ट जाकिट उपलब्ध करानी होगी तथा संवेदक का दायित्व होगा कि समस्त श्रमिक फ्लोरोसेन्ट जाकिट पहनकर ही कार्य करे । बिना यूनिफार्म कार्य करते पाये जाने पर सवेंदक के भुगतान में से कटौती की जायेगी।
26. संवेदक को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा । इसका प्रमाण पत्र बिल पर अंकित करने पर ही भुगतान किया जावेगा ।
27. अन्य शर्ते जी.एफ.एण्ड ए.आर. भाग द्वितीय के नियम 68 एवं उपापन में पारदर्शिता एक्त 2012 एवं नियम 2013 में वर्णितानुसार लागू होगी ।
28. अर्नेस्ट मनी निम्न मामलों में जप्त कर ली जावेगी ।
    1. (अ) जब कार्य आदेश देने के बावजूद उल्लेखित समयावधि में कार्य आरम्भ करने में संवेदक असमर्थ रहता है
    2. (ब) निविदादाता निर्धारित अवधि में करार को सम्पादित नहीं करता है ।
    3. (स) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा के स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव वापस ले लेता है
    4. (द) निविदा की शर्तो की पालना नहीं करता है ।
29. निविदा स्वीकार /अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम कोटा में निहित होगा ।
30. निविदा दो पार्ट में में होगी तकनीकि बिड की फीडिंग अलग होगी तथा वित्तीय बीड की फीडिंग अलग होगी । पहलें तकनिकी बिड ओपन की जायेगी उसका परीक्षण होगा तथा तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जावेगी ।
31. निविदाप्रपत्र पर फोटो चस्पा करना होगा एवं निवास पते की प्रमाण स्वरूप नल, बिजली ,टेलिफोन आदि का बिल राशन कार्ड , ड्राईविंग लाईसेन्स ,पेन कार्ड,मतदाता परिचय पत्र ,विभाग में पंजियन कोई एक की फोटोप्रति संलग्न करनी होगी ।
32. सवेंदक को प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख के मध्य बिल प्रस्तुत करना होगा।
33. निविदा प्राप्ति /खोले जाने की नियत तिथि को अवकाश धोषित होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस माना जावेगा ।
34. निविदा की शर्तो का उल्लंधन करने /कार्य संतोषप्रद न होने की अवस्था में ठेका निरस्त कर धरोहर राशि /प्रतिभूति राशि जप्त की जा सकेगी ।
35. कार्य पर रिस्क एण्ड कोस्ट नियम लागू होगा ।
36. श्रमिकों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई बढाई जा सकती है ।
37. निविदा में पंजीकृत सहकारी समितियों /श्रम विभाग में पंजीकृत/नगर निगम में पंजीकृत/पी.एफ. पंजीकृत संवेदक ही भाग ले सकेगें ।
38. इनकम टेक्स का दायित्व संवेदक का होगा ।

39. नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों का भुगतान करने एवं उनके पी.एफ.व ई.एस.आई.श्रमिकों के खाते में जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा यदि किसी श्रमिक के खाते में पी.एफ.एवं ई.एस.आई. जमा नहीं होने की स्थिति में किसी भी श्रमिक द्वारा कोई दावा किया जाता है तो उससे सम्बंधित समस्त उत्तरदायित्व संवेदक को ही वहन करना होगा ।
40. श्रमिकों का भुगतान समय पर श्रमिको के खाते में ऑनलाईन बैक के माध्यम से करना होगा। बिल प्रस्तुत करते समय पी.एफ. ,ई.एस.आई व श्रमिक भुगतान बैंक डिटेल भी साथ प्रस्तुत करने के बिल भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी एवं पी.एफ., ई.एस.आई. के नगर निगम कोटा–उत्तर के पृथक चालान जमा कराने होगें।
41. तकनीकी बिड़ के अनुसार निविदा के दस्तावेजों की पूर्ति करनी होगी। (स्वयं के द्वारा सत्यापित) स्केन कर पीडीएफ फोरमेट में अपलोड होने चाहिये।
42. संवेदक को नगर निगम कोटा के मेयर/पार्षद/अधिकारी/कर्मचारी से ब्लड रिलेशन नहीं होने बाबत रूपये 50/– के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर कार्य –पालक मजिस्ट्रेट जारी/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
43. सफलतम निविदादाता को 3 प्रतिशत प्रतिभूती राशि जमा करवानी होगी ।
44. निविदा शर्तो को स्वीकार करने के लिये निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक है ।
45. ठेकेदार द्वारा संतोषप्रद रूप से शर्तो व अनुबंध का पालन नहीं करने की स्थिति में नगर निगम कोटा–उत्तर को एक तरफा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा ।
46. ठेकेदार को कार्य आदेश प्राप्त होते ही निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ करना होगा ।
47. यह कार्य अहस्तांरणीय होगा एवं अन्य को नहीं दिया जावेगा ।
48. संवेदक श्रमिको की आपूर्ति कर बिल का प्रमाणिकरण इंचार्ज उघान एवं प्रभारी उघान द्वारा किये जाने पर ही बिल भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।
49. उक्त निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारो को लैबर एक्ट के तहत् श्रम विभाग से पंजिकृत होना आवयक होगा ।
50. ठेकेदार को ठेका स्वीकृत होने पर को टेण्डर राशि का नियमानुसार स्टाम्प पर स्वयं के खर्च पर निविदा स्वीकृति तिथि के अंदर सात योम में अनुबंध करना होगा। अनुबंध नहीं करने पर प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने पर जमा अमानत राशि जप्त कर ली जायेगी।
51. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य में लगाये गये श्रमिकों के सम्बंध में सभी सम्बंधित अधिनियम/नियम /उपनियम का पालन नहीं करने पर उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा । नगर निगम कोटा–उत्तर इस सम्बंध में उत्तरदायि नहीं होगा।
52. ठेका श्रमिको के व्यवहार ,आचरण एवं गैरकानूनी कार्यो में लिप्त होने बाबत ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी नगर निगम कोटा–उत्तर इसके लिये उत्तरदायित्त्व नहीं होगा।
53. संवेदक को प्रत्येक माह के बिल के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत बिल के साथ पी.एफ.व ई.एस.आई. चालान की रसीद प्रस्तुत की जा रही है।
54. किसी भी दुर्घटना में श्रमिक को हुई क्षति के लिये पूर्ण रूप से ठेकेदार जिम्मेदार होगा। अगर किसी वजह से श्रमिकों या उसके परिजन न्यायालय में जाते है तो न्यायालय द्वारा आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिये नगर निगम की जिम्मेदारी तय की जाती है तो ठेकेदार की अमानत राशि /सुरक्षा गारन्टी राशि उनको देय किसी भी भुगतान से कटौती की जायेगी ।
55. निविदा की कार्य अवधि एक वर्ष होगी तथा संवेदक का कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से कार्य आदेश अवधि नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी ।
56. निगम हित में ठेका कभी भी निरस्त किया जा सकता है तथा निगम द्वारा बिना कारण बताये एक माह का नोटिस दिया जाकर निविदा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम कोटा–उत्तर का होगा।
57. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अंतिम निर्णय निगम प्रशासन का होगा और वह दोनो पक्षों के लिये मान्य होगा। न्यायिक विवाद क्षैत्र कोटा होगा । निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व शर्तो का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है बाद मे कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी ।

60. संविदा पर लोक उपापन में पारदर्शिता एक्ट 2012 एवं नियम 2013 नियमों में विवाद होने पर **RTPP Act & Ruls** सर्वोपरी होंगे।

61. एक से अधिक संवेदको की दरें समान आने पर लॉटरी के द्वारा निर्णय किया जावेगा।

मेरे द्वारा शर्तो /निर्देशो को भली–भांतिअध्ययन कर लिया है और में उक्त शर्तो पर कार्य करने में सहमत हूं।

हस्ताक्षर निविदादाता

अधीक्षण अभियन्ता
नगर निगम, कोटा–उत्तर